

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

अपील संख्या 75/2020
(जीसीएमएस संख्या 2020/00221)

निर्णय दिनांक:-16-12-2024

1. श्रीमती कंचन मिश्रा पत्नी रामचन्द्र मिश्रा जाति ब्राह्मण निवासी एस 20 भवानीसिंह रोड जयपुर।
2. अक्षेन्द्र मिश्रा पुत्र रामचन्द्र मिश्रा जाति ब्राह्मण निवासी एस 20 भवानीसिंह रोड जयपुर।
3. निलिख मिश्रा पुत्र रामचन्द्र मिश्रा जाति ब्राह्मण निवासी एस 20 भवानीसिंह रोड जयपुर।
4. विभा मिश्रा पुत्री रामचन्द्र मिश्रा पत्नी ओ पी तिवाडी जाति ब्राह्मण निवासी 4/287 विनित खण्ड लखनउ।
5. निती मिश्रा पुत्री रामचन्द्र मिश्रा पत्नी विवेक शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी एस 20 भवानी सिंह रोड जयपुर जरिये मुख्यार आम प्रतापसिंह पुत्र जन्तरपाल सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी राजपूत निवासी रानीसर बास बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 28-01-1997
सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत

उपस्थिति:-

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 28-01-1997 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र किशतों के अभाव में एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता को तहसील कोलायत में चक 33 सीडब्ल्यूबी के मुर्ब्बा नम्बर 147/1 के किला नम्बर 1 ता 14, 17 ता 24 की कुल तादादी 22 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन दिनांक 04-09-1990 को आवंटित की गई थी। अपीलांट्स के पिता द्वारा भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने के पश्चात आवंटन अधिकारी द्वारा आवेदित भूमि का कब्जा प्रदान कर दिया गया था मगर अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटित भूमि की शेष किशतें जमा नहीं करवाने के अभाव में अपीलांट्स के पिता/पति का विशेष आवंटन खारिज कर दिया गया।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने आवेदित रकबे की 35 प्रतिशत राशि जमा करवा दी थी और भूमि की शेष राशि भी जमा करवाने हेतु तैयार है। आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्ध रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया




राजस्थान अपील अधिकारी
जयपुर


जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 209 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28-01-1997 के विरुद्ध अपील दिनांक 02-03-2020 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आवंटित भूमि की किरतें जमा नहीं करवाने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।



5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 28-01-1997 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 02-03-2020 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते हैं। इस संबंध में हमारा अभिमत है


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्देश्य हासिल करने का होना चाहिए। विलम्ब शमन निम्न में से एक या से एक से अधिक कारणों पर आधारित होना चाहिए। मियांद कानून लोक नीति का पूरक है। इसका उद्देश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।



(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए चक 33 सी डब्ल्यू बी के मुर्ब्बा नम्बर 147/1 के किला नम्बर 1 ता 14, 17 ता 24 की तादादी 22 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। जो आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा करवाये जाने पर आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटित की गई थी।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटित रकबे की शेष/बकाया राशि जमा करवाने हेतु ना तो कोई नोटिस जारी किया गया तथा ना ही उक्त राशि जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

(4) प्रस्तुत मामलें में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर


इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट्स के पति/पिता को बकाया राशि जमा करवाने हेतु कोई नोटिस जारी किये जाने के दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना प्राप्त हुई हो।

(5) यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा चक 33 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 147/1 के किला नम्बर 1 ता 14, 17 ता 24 तादादी 22 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन आवंटित की गई थी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा बतौर सबूत प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2073-2076 के अनुसार उक्त रकबा आज दिनांक को अराजीराज दर्ज है व अन्य किसी को आवंटनशुदा नहीं है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2017 पेज 209 का न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसके अभिलिखित है कि:-

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in IGNP Area) Rules, 1975 - R-23(2) Asstt. Commissioner allotted land and cost to be deposited by allottee- Allotment cancelled for non payment- Appellate Court rejected appeal of allottee - Revision before boar - Held - Land still vacant - Allottee could not deposit amount as no notice was received by him - In the interest of justice llotment regularized if allottee deposits cost with interest - Revision allowed on condition.

वादगत् भूमि प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के अनुसार आज दिनांक को भी आराजीराज है तथा अन्य किसी को आवंटित भूमि नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त नजीर मामलें पर पूर्णतया चस्या होती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं नजीर के प्रकाश में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 28-01-1997 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत भूमि अन्य को आवंटित नहीं होने पर अथवा अन्य किसी कार्य के लिए आरक्षित नहीं की गई हो तो ऐसी स्थिति में अपीलान्त के प्रार्थना पत्र नियमानुसार उसकी आज दिनांक की पात्रता की जाँच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16-12-2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(Handwritten signature in green ink)
(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर